भारतीय संस्कृति, शिक्षा और दर्शन

विभिन्न संकल्पनाएं

सम्पादक : डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

भारतीय संस्कृति, शिक्षा और दर्शन

विभिन्न संकल्पनाएँ

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा

Ph.D., D.Lit. (Sub.)

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
अजमेर

Books n Books

51/1509, आचमन, वेदविहार,
लोहाखान, अजमेर-305001

प्रकाशक :
पुष्पा शर्मा
Books n Books
51/1509, आचमन, वेदविहार,
लोहाखान, अजमेर-305001
ई-मेल : bnbajmer@gmail.com

संस्करण
प्रथम 2025

ISBN : 978 - 81 - 993854 - 7 - 4

मूल्य - 300/-

रचना -
भारतीय संस्कृति, शिक्षा और दर्शन विभिन्न संकल्पनाएँ

सम्पादक -
डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा

आवरण -
श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

मुद्रक -
श्री श्याम ऑफसेट, किशनगढ़

भीमराव अम्बेड़कर का समाज दर्शन

अनिता मालिया
सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)
हुकुमचन्द नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

समाज मानव जीवन की अत्यंत सुगठित व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह परस्पर विचार-विमर्श और सहयोग के माध्यम से जीवन की स्थितियों को निर्धारित करते हैं। इस संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर का समाज-दर्शन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की स्थापना की दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों और जातिगत भेदभाव के विरोध में उनका जीवन समर्पित रहा।

अंबेडकर का चिन्तन विशेष रूप से छुआछूत, ऊँच-नीच और जातिगत भेदभाव के विरोध से उत्पन्न हुआ। भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था में जन्म आधारित असमानताओं ने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को सीमित कर रखा था। इसी पृष्ठभूमि में डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के अनुसार समान अवसर मिलना चाहिए और किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनका समाज-दर्शन केवल भौतिक समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आत्म-सम्मान, न्याय और सामाजिक अधिकारों का समावेश भी था।

स्वामी दयानन्द के सुधारवादी प्रयासों का अंबेडकर पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। दयानन्द ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध करते हुए गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। अंबेडकर ने इसे आगे बढ़ाते हुए समाज में न्याय और समानता की संरचना का मार्ग प्रशस्त किया। उनका दृष्टिकोण केवल आलोचनात्मक नहीं था, बल्कि व्यावहारिक और क्रांतिकारी भी था। उन्होंने समाज में फैली अमानवीय कुरीतियों का निवारण करने के लिए सशक्त उपाय सुझाए और अंततः बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सामाजिक उत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया।

डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की व्याख्या 'मनुष्य मनुष्य के बीच किसी

भी प्रकार के भेदभाव को न मानना' के रूप में की। उनके अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपनी शक्तियों और क्षमताओं के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। उन्होंने किसी भी रूप में शोषण, उपेक्षा या तिरस्कार को अस्वीकार्य माना। उनके सामाजिक न्याय आंदोलन को अंग्रेजों की शोषक नीतियों के खिलाफ संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। उन्होंने बहिष्कृत वर्गों के अधिकारों के लिए हितकारी संस्थाओं का गठन किया और समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण के पक्ष में कार्य किया।

अंबेडकर का समाज-दर्शन इस बात पर भी बल देता है कि समाज का आधार मानव की मूलभूत समानता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को समान जीवन के अवसर नहीं मिलेंगे, समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अछूत और पिछड़े वर्गों को अपनी मुक्ति और उद्धार के लिए स्वयं पहल करनी होगी। मनुष्य स्वयं अपने जीवन और समाज का निर्माता है। उनके अनुसार, समानता और न्याय का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है जब व्यक्ति अपने अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक सम्मान के माध्यम से स्वतंत्र और सशक्त बन सके।

डॉ. अंबेडकर का समाज-दर्शन केवल सुधारवादी दृष्टि ही नहीं अपितु नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के सिद्धांतों का समग्र दर्शन प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाज में न्याय और समानता का अभाव न केवल कमजोर वर्गों के लिए हानिकारक है, बल्कि पूरे समाज की उन्नति को रोकता है। उनके विचार आज भी भारतीय समाज के समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय के आंदोलन का मार्गदर्शन करते हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का सम्पूर्ण चिन्तन, उनके कार्यक्षेत्र और अनुशीलन का मूल उद्देश्य समाज में सामाजिक चेतना का जागरण करना था। उन्होंने समाज को केवल एक भौतिक समूह या प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानवीय समस्याओं, भावनाओं और आदर्शों का केन्द्र बिन्दु माना। अंबेडकर ने समाज में व्याप्त असमानताओं, भेदभावों और उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को उद्घाटित किया और उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनके प्रस्तुत समाधान सर्वमान्य नहीं हो पाए, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों—विशेषकर दलित और सवर्ण के हितों में टकराव विद्यमान था। समाज सुधार और न्याय के सिद्धांतों की सीमा और वास्तविकता में अंतर होने के कारण उनकी विचारधारा को पूणज़ रूप से स्वीकार नहीं किया जा सका।

अंबेडकर हिन्दू धर्म की जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार कोई भी समाज जब केवल जन्म, धर्म, धन या अभिजात्य के आधार

पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करने लगता है, तब वह समाज अपनी मूलभूत मानवीय भावना और नैतिक उद्देश्य को नष्ट कर चुका होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के बिना समाज में वास्तविक स्वतंत्रता केवल एक ढकोसला है।

अंबेडकर का दृष्टिकोण विशेष रूप से दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के सदियों से चले आ रहे पीड़ाओं और उत्पीड़न के निवारण पर केंद्रित था। उन्होंने शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार माना। आर्थिक अभाव और सामाजिक बंधनों के कारण शिक्षा से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने संविधान निर्माण के समय आरक्षण की व्यवस्था सुझाई। प्रारंभिक दस वर्षों के आरक्षण का यह प्रस्ताव संविधान में सम्मिलित किया गया। उनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में चेतना और समानता का आधार है।

अंबेडकर का समाज-दर्शन लैंगिक समानता की दिशा में भी प्रगतिशील था। वे सामाजिक क्रांति में नारी को पुरुष के समकक्ष सहयोगी मानते थे। उनके अनुसार समाज में यदि नारी को समान अधिकार और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो वास्तविक सामाजिक परिवर्तन अधूरा रहेगा। उन्होंने अन्तर्जातीय विवाहों को भी स्वीकार किया, क्योंकि इनके माध्यम से दलित वर्ग को समानता और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है, और अमानवीय नियमों तथा जातिगत भेदभाव का नाश होता है।

अंबेडकर के समाज-दर्शन में शिक्षा, न्याय, समानता और नैतिक चेतना का गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समानता और स्वाभिमान के बिना किसी समाज की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। उनके दृष्टिकोण में समाज का निर्माण केवल राजनीतिक अधिकारों या कानून तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक चेतना के विकास तक फैला हुआ है। इस प्रकार, डॉ. भीमराव अंबेडकर का समाज-दर्शन आधुनिक भारतीय समाज के लिए एक व्यापक और सशक्त आदर्श प्रस्तुत करता है। यह दर्शन न केवल दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान का मार्ग दिखाता है, बल्कि पूरे समाज को समानता, न्याय और भ्रातृत्व के मूल्यों पर आधारित प्रगतिशील संरचना की ओर प्रेरित करता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर दृष्टिकोण में समाज का उद्देश्य केवल बाह्य संगठन या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि मानव जीवन के कल्याण और सामाजिक चेतना का विकास था। इस दृष्टि से, बाबा साहेब का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। बौद्ध धमर्ज़किसी प्रकार के वर्गवाद को स्वीकार नहीं करता और यह किसी ईश्वर के अस्तित्व को अनिवार्य मानने के बजाय यर्थार्थवादी और तर्कशील दृष्टिकोण को महत्व देता है।

अंबेडकर भारतीय दर्शन की यथार्थवादी परंपरा के समर्थक थे। वे उन दर्शन-

धाराओं के अनुयायी थे जो आत्मा की शाश्वत सत्ता में विश्वास नहीं करतीं, जैसे चार्वाक और लोकायत। उन्होंने परम्परागत वैदिक ग्रंथों और साहित्य का खंडन किया, क्योंकि उनके अनुसार ये ग्रंथ समाज में भेदभाव और असमानता के मुख्य स्रोत हैं। विशेष रूप से, उन्होंने मनुस्मृति का घोर विरोध किया और इसे सामाजिक न्याय के मार्ग में प्रमुख बाधा माना।

डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सामाजिक न्याय की दृष्टि से मतभेद था। गांधी ने समाज में जन्म-आधारित भेदभाव का निराकरण करने के लिए स्वामी दयानन्द के सिद्धांतों को स्वीकार किया और दलितों को 'हरिजन' कहकर उनका सम्मान करने का प्रयास किया। जबकि बाबा साहेब इस शब्द के कटु विरोधी थे और उनका मानना था कि समानता और न्याय की अवधारणा किसी शब्द या उपाधि से नहीं, बल्कि समाज व्यवस्था के मूलभूत नियमों से लागू होती है।

डॉ. अम्बेडकर ने समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव—धर्म, जाति या वर्ग के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे भोजन, वस्त्र और आवास सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि समाज का आधार समता-मूलक संरचना होनी चाहिए, जिसमें ऊंच-नीच और छुआछूत का कोई स्थान नहीं हो।

अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की समस्याओं का समाधान कानूनी अधिकारों के माध्यम से किया। स्वयं कानूनविद होने के नाते उन्होंने समाज के विकास के लिए संविधान में मूलभूत अधिकारों को शामिल कर योजना बद्ध रूप से समाज में समानता और न्याय की स्थापना की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक समानता और न्याय केवल संवैधानिक व्यवस्था और कानूनी सुरक्षा द्वारा ही सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

स्पष्टत: कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का समाज-दर्शन समानता, न्याय और नैतिकता पर आधारित था। उनके अनुसार समाज की एकता बनाए रखने के लिए कानून और नैतिकता दोनों जरूरी हैं। धर्म उनके लिए जन्म या परंपरा पर आधारित नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों का आधार था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया और समान अवसर, शिक्षा, और न्याय को समाज के विकास के लिए अनिवार्य माना। धर्म व्यक्ति को शुभ कर्म और नैतिक जीवन की दिशा देता है और समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का समाज दर्शन भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन पर केन्द्रित है। उनके अनुसार भारतीय समाज में

जन्म और वर्ण के आधार पर होने वाला भेदभाव सामाजिक न्याय और समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। डॉ. अंबेडकर मानते थे कि जब तक समाज से जातिवाद और छुआछूत का अंत नहीं होगा, तब तक आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति असंभव है। उन्होंने अपने चिन्तन में यह स्पष्ट किया कि समाज में समान अवसर, शिक्षा और न्याय सुनिश्चित किए बिना वास्तविक समाजिक समता और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

अंबेडकर का दृष्टिकोण इस बात पर आधारित था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म और क्षमता के अनुसार समान अवसर मिलना चाहिए, न कि जन्म या जाति के आधार पर। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था में कोई भेद नहीं था, शूद्र भी क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा थे, लेकिन कालांतर में लोभ, अज्ञान और शक्ति के संघर्ष ने इसे विकृत रूप दे दिया। इसलिए वे जाति-व्यवस्था और मनुस्मृति जैसे प्राचीन धर्मग्रंथों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने इसे सामाजिक बुराइयों का मूल स्रोत माना और कहा कि इसके कारण समाज में अन्याय, शोषण और अवसरों की असमानता फैली।

अंबेडकर का समाज चिन्तन व्यावहारिक और यथार्थवादी था। वे समाज को सुधारने के लिए न केवल दर्शन और विचार प्रस्तुत करते थे, बल्कि इसके लिए कानूनी, शैक्षिक और नैतिक उपायों की भी पैरवी करते थे। उनके अनुसार शिक्षा समाज में चेतना जगाने और दलित वगज़ को समान अधिकार दिलाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष सामाजिक क्रांति में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया और अंतरजातीय विवाहों को समानता और सामाजिक न्याय का मार्ग माना।

उनका समाज दर्शन सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। वे मानते थे कि समाज की एकता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए कानून और नैतिकता दोनों आवश्यक हैं। धर्म उनके दृष्टिकोण में जन्म या परंपरा का उत्पाद नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों का आधार है। धर्म व्यक्ति के चरित्र निर्माण, उसके कार्यों और समाज में उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अंबेडकर का उद्देश्य समाज में समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करना था, ताकि सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन कर सकें।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का समाज दर्शन मुख्य रूप से जाति, अस्पृश्यता, सामाजिक समानता और न्याय के इर्द-गिर्द केन्द्रित है। उनका चिन्तन उस समय के भारतीय समाज के विसंगत और अमानवीय स्वरूप का तीव्र विरोध था, जिसमें जन्म, वर्ण, जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर विभाजन एवं भेदभाव का प्रचलन

था। अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि समाज में उत्पन्न असमानताएँ और छुआछूत किसी ईश्वरीय इच्छा का परिणाम नहीं हैं, बल्कि ये मानव निर्मित सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों के कारण उत्पन्न हुई हैं। उनके अनुसार, जन्म के आधार पर किसी को नीच या उच्च ठहराना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है।

जाति के संदर्भ में अम्बेडकर कहते हैं, ''मैं अछूत हूँ इसलिए मैं हूँ, लेकिन अछुतों को पशुओं से भी गया बीता समझा गया है। वे कुत्ते-बिल्ली तो छू सकते हैं किन्तु महार जाति के आदमी को नहीं। किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच? किसी को ऊंच ? भगवान ने ? हरगिज नहीं । वह ऐसा नहीं करता वह सब को समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई तो मनुष्य ने पैदा की है मैं तो इसे समाप्त करके ही रहूंगा।''

अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था का विकास विभिन्न लोगों के खान-पान, रहन-सहन और सामाजिक आदतों में भिन्नताओं के कारण हुआ। समय के साथ समान आचार-विचार और रीति-रिवाजों वाले समूहों में वैवाहिक संबंधों ने इसे और दृढ़ किया। अंबेडकर के लिए यह स्पष्ट था कि अस्पृश्यता समाज के लिए घोर अभिशाप है और इसे समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अछूतों को समाज में उच्च दृष्टि से जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें केवल किसी की उदारता पर निभर्ज़र नहीं रहना चाहिए।

अंबेडकर के समाज चिन्तन का मूल आधार समानता और न्याय था। उनका यह मानना था कि जब तक समाज से जातिवाद और छुआछूत नहीं हटेगा, तब तक आर्थिक और सामाजिक समानता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समानता और चेतना जाग्रति का प्रमुख साधन माना। अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज के विकास के लिए पुरुष और नारी का सहयोग समान रूप से आवश्यक है, और अन्तरजातीय विवाह जैसी व्यवस्थाएँ समाज में समानता और भ्रातृत्व को प्रोत्साहित करती हैं।

अंबेडकर धर्म को समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों का आधार मानते थे, लेकिन उनका धर्म जन्मगत या संस्थाबद्ध धर्म नहीं था। उनके अनुसार धर्म का कार्य व्यक्ति में सकारात्मक सामाजिक चेतना, नैतिकता और न्याय की भावना उत्पन्न करना है। उन्होंने हिन्दू धर्म के उन ग्रंथों और प्रथाओं की कटु आलोचना की, जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को प्रोत्साहित करते थे। इसके चलते उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति और वर्ग आधारित भेदभाव का स्थान नहीं है और यह समानता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उपयुक्त था।

अंबेडकर के समाज चिन्तन पर कई विद्वानों का प्रभाव पड़ा, जिनमें ज्योतिबा फूले, जॉन डिंबी और कार्ल मार्क्स प्रमुख हैं। उनके व्यक्तित्व और विचारों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने समाज में शिक्षा, कानून और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समानता और न्याय स्थापित करने का मागज़ प्रशस्त किया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का समाज दर्शन मानवतावादी और परिवर्तनमुखी था। उनका चिंतन विशेष रूप से दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान, सामाजिक समानता और न्याय पर केंद्रित था। समाज में असमानता और भेदभाव को समाप्त किए बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक क्रांति पूर्ण नहीं हो सकती, यह उनका मुख्य दृष्टिकोण था। अंबेडकर सवर्णों के विरोधी नहीं थे; उनका उद्देश्य केवल हृदय और मानसिक परिवर्तन के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करना था। उनका मानना था कि केवल कानून या हिंसा से बदलाव संभव नहीं, बल्कि समाज का अंत:करण बदलना अत्यंत आवश्यक है।

अंबेडकर समाज में नारी की स्थिति के प्रति भी अत्यंत सजग थे। वे लिंग आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार समान अवसर देने पर जोर देते थे। सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में अछूतों और पिछड़े वर्गों को भी प्रत्यक्ष भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। इसके माध्यम से वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज निर्माण की बात करते थे।

अंबेडकर पर पाश्चात्य राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन का प्रभाव था। उन्होंने राज्य को सामाजिक और आर्थिक सुधारों का सकारात्मक उपकरण माना। उनका मत था कि लोकतंत्र में जनता ही सम्प्रभु है, लेकिन यदि अंतिम व्यक्ति तक अधिकार नहीं पहुँचेंगे, तो लोकतंत्र की संपूर्णता व्यर्थ होगी। इसलिए अंतिम व्यक्ति के कल्याण की भावना उनके समाज चिंतन की आधारशिला थी।

अंबेडकर धर्म को केवल आध्यात्मिक या संस्थागत साधन नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों का आधार मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि यह जातिवाद और भेदभाव से मुक्त था। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य है–

* जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य के बीच मधुर संबंध स्थापित करना।
* समाज में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना।
* व्यक्ति और समाज का सम्मान और गौरव सुनिश्चित करना।

वे धर्म को जीवन की धुरी और बुद्धि का सार मानते थे, लेकिन पाखंड या दिखावे के लिए नहीं। धर्म व्यक्ति में आशा, सद्गुण और समाज में न्याय का संचार

करता है।

अंबेडकर का मानना था कि समाज अपनी एकता बनाए रखने के लिए नैतिकता और कानून दोनों का पालन करे। बिना नैतिकता के समाज विखंडित हो जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मानव को मानव से घृणा नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार का शोषण या अन्याय स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता समाज की मजबूती के आधार हैं।

अंबेडकर शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान की चेतना जगाने का साधन है। वे महिलाओं के लिए समान अधिकारों और शिक्षा के अवसरों के भी पक्षधर थे।

स्वामी दयानन्द और अंबेडकर दोनों का दृष्टिकोण जातिवाद और जन्म आधारित भेदभाव के विरोध में समान था। दोनों का उद्देश्य समाज को गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित न्यायपूर्ण समाज बनाना था। स्वामी दयानन्द के अनुसार, आर्यत्व श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि मानव को श्रेष्ठ बनने और कार्य करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों हैं। इसी तरह, अंबेडकर भी शिक्षा, सुरक्षा और अवसरों के माध्यम से व्यक्ति को स्वयं का निर्माण करने का अधिकार देना चाहते थे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर समाज में समानता और न्याय की भावना को स्वीकार करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को किसी भी रूप में मान्यता नहीं देते थे। वे केवल गुण, कर्म या स्वभाव के आधार पर भी इसे उचित नहीं मानते थे। उनके लेखों से स्पष्ट होता है कि वे 'वर्ण व्यवस्था' शब्द से ही घृणा करते थे। फिर भी, उन्होंने इसके मूल में निहित उच्च विचारों—जैसे अनुशासन, कर्तव्य और समाज में संतुलन के प्रति सद्भाव और सम्मान व्यक्त किया।

अंबेडकर ने अपने समय के सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पिछड़े और अछूत वर्गों के लिए एक विकासशील समाज दर्शन प्रस्तुत किया। उनका दृष्टिकोण था कि व्यक्ति को अपने स्वभाव और क्षमताओं को पहचानकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस विचारधारा ने अछूतों और पिछड़े वर्गों को आत्मसशक्त बनने और समाज में अपने स्थान के लिए खड़े होने का साहस प्रदान किया। उन्होंने आरंभ में पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए दस वर्षों का आरक्षण की सिफारिश की, जिसे आज भी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंबेडकर का आंदोलन 50 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए आंदोलन की अपेक्षित पूर्ण सफलता नहीं दिला सका, लेकिन इतना अवश्य है कि उनके प्रयासों ने इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़े होने और नए भोर की ओर देखने का साहस प्रदान किया।

परिणामस्वरूप, आज समाज में उस समय जैसी कट्टरता नहीं देखी जाती थी, जो अंबेडकर के जन्मकाल में विद्यमान थी। यह उपलब्धि उनके संघषज़ और सामाजिक चिंतन की देन है।

एक सामाजिक मानववादी के रूप में अंबेडकर ने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को संगठित करने के लिए तीन मौलिक आदर्शों पर विश्वास किया-

1. स्वतंत्रता - व्यक्ति को अपने निर्णय और जीवन पर नियंत्रण का अधिकार।

2. समानता - समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अवसर और समान सम्मान।

3. भ्रातृत्व - मानवता और सहिष्णुता के आधार पर सामाजिक एकता और भाईचारा।

उनका मानवतावादी दर्शन केवल इन तीन आदर्शों पर आधारित है, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य सिद्धांत उनके समाज चिन्तन का केंद्र नहीं रहा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीनों ही जनतांत्रिक आदर्श हैं।

डॉ. अंबेडकर स्वयं कहते थे- ''सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज-दर्शन तीन शब्दों—स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व—में निहित है। लेकिन किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने अपने दर्शन का अनुसरण फ्रांस की क्रांति से किया है। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं, न कि राजनीतिविज्ञान में। मैंने उनका अनुसरण अपने पथ-प्रदर्शक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से किया है।''

इस प्रकार, अंबेडकर का समाज दर्शन धर्म और मानवतावाद के आधार पर आधारित, न्यायपूर्ण, समानतामूलक और विकासोन्मुख समाज की स्थापना का दर्शन है। उनका चिंतन यह सुनिश्चित करता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति—अछूत या उच्च जाति—को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलें, ताकि सभी मिलकर समाज की प्रगति और कल्याण में योगदान कर सकें।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जनतंत्र की अवधारणा को केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक और क्रियाशील दृष्टिकोण से समझा। उनके लिए जनतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं था, बल्कि यह मानव संबंधों को व्यवस्थित करने का सिद्धांत और समाज के लिए मार्गदर्शक था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें जनतंत्र की रक्षा करनी है और इसे पृथ्वी पर समाप्त नहीं होने देना है। इसके लिए केवल आस्था पर्याप्त नहीं, बल्कि जनतंत्र के सिद्धांत—स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों को यह चेतावनी भी दी कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जनतंत्र और उसके मूलभूत आदर्शों को खतरा पहुंचे। उनका मानना था कि जनतांत्रिक सभ्यता के आधार को बनाए रखना सभी नागरिकों का कर्तव्य है।

डॉ. अंबेडकर के दर्शन में मानवीय नैतिकता का सर्वोच्च स्थान है। उनके अनुसार नैतिकता का आधार ईश्वर की स्वीकृति या धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि मनुष्य के प्रति मनुष्य के प्रेम और भलाई की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य को ईश्वर को खुश करने के लिए नैतिक बनने की जरूरत नहीं है; नैतिकता केवल मानव कल्याण और समाज के सामंजस्य के लिए आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर के मानववाद का सार है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम नैतिकता है, नैतिकता धर्म है, और भ्रातृत्व मानव प्रेम है।

अंबेडकर का मानववाद किसी अतिप्राकृतिक सत्ता, अलौकिक शक्ति या आत्मा की अमरता पर आधारित नहीं है। वे किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पद्धति को स्वीकार नहीं करते थे, यदि उसका उद्देश्य केवल दिव्य कृपा प्राप्त करना हो। उनके लिए मानव और समाज का कल्याण ही धर्म का असली आधार था।

डॉ. अंबेडकर का जनतांत्रिक मानववाद सामाजिक व्यवस्था को समतावादी बनाने पर केंद्रित था। उनका लक्ष्य था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच ऐसे सुदृढ़, नैतिक और भ्रातृपूर्ण संबंध स्थापित हों, जो समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित हों। इसके माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सके और हर व्यक्ति—चाहे वह दलित हो या उच्च जाति का—समान अधिकारों और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

अंबेडकर के सामाजिक और धार्मिक विचारों में आधुनिक विज्ञान और बौद्धिक चिन्तन का गहरा प्रभाव था। उनके लिए बौद्धिकता ही विज्ञान का पर्याय है। उन्होंने धर्म और परंपरा का संशोधन इस दृष्टि से किया कि वे मानवतावादी और वैज्ञानिक मूल्य प्रदान करें। उनका मत था कि धर्म में यदि कोई निरर्थक या अंधविश्वासी बातें हों, तो उन्हें परित्याग करना चाहिए। समाज में नैतिकता और समानता के आधार पर चलने वाला धर्म ही सच्चा धर्म है। उन्होंने बौद्धिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया ताकि समाज अंधविश्वास और अकारण परंपराओं से प्रभावित न हो।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक मानववाद का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनका दर्शन मानव कल्याण, समता और न्याय पर आधारित है। उनके विचारों से निम्नलिखित प्रकार से उल्लिखित किया जा सकता है-

1. अंबेडकर का मानना था कि मानव बुद्धि और इन्द्रियां ज्ञान प्राप्ति के सर्वोच्च साधन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वरीय अभिव्यक्ति निराधार है और कोई भी ज्ञान जन्मजात या रहस्यमय नहीं होता। ज्ञान का स्रोत केवल मानव अनुभव, बौद्धिक प्रयास और तर्क होता है।
2. उनके अनुसार बाह्य जगत् का अस्तित्व सुस्पष्ट है, और मानव सृष्टि का

खेल नहीं बल्कि प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है। प्रकृति स्वयं अपना कारण है और मनुष्य उसी प्रकृति से विकसित होकर बौद्धिक प्राणी बना। इस दृष्टि से मनुष्य प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व में है और उसके नियमों का पालन करना आवश्यक है।

3. डॉ. अंबेडकर यह मानते थे कि कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है जो मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्धारित करे। मनुष्य अपने प्रयास, परिश्रम और सद्गुणों के माध्यम से स्वयं को सुधार सकता है और समाज के हित में योगदान दे सकता है। इस दृष्टिकोण से उनका मानववाद व्यावहारिक और यथार्थपरक है।
4. उनके अनुसार नैतिकता का अर्थ है वे मूल्य और आदर्श जो समाज में स्थित सभी मानव प्राणियों के प्रति सम्मान, समता, करुणा, मैत्री, सहयोग और सहानुभूति उत्पन्न करें। यह नैतिकता हमें सक्षम बनाती है कि हम समतावादी समाज के निर्माण और उसकी वृद्धि में सक्रिय योगदान दें।
5. अंबेडकर का सामाजिक मानववाद केवल राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य विश्व-बंधुत्व है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सह-अस्तित्व, सहयोग और भ्रातृत्व को मानवता की उच्चतम अभिव्यक्ति माना। उनका दृष्टिकोण विश्व शांति और वैश्विक न्याय के लिए मूलाधार प्रदान करता है।

इस प्रकार, डॉ. अंबेडकर का सामाजिक मानववाद व्यावहारिक, मानवतावादी और न्यायपरक है। इसमें उन्होंने ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता और विश्वबंधुत्व को समन्वित करके समाज निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक समाज के लिए प्रेरणाति है और सामाजिक समानता तथा न्याय के लिए मागज्दशज्क सिद्ध होता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वामी दयानन्द और डॉ. अंबेडकर दोनों ही समाज में समानता और न्याय के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि धर्म सिर्फ रीति-रिवाज या जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें नैतिकता, भ्रातृत्व और प्रेम का स्थान होना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण उन्हें समाज सुधार और मानव कल्याण की दिशा में प्रेरित करता था।

राज्य और शासन के प्रति व्यक्ति के कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों के विषय में भी उनके विचार मेल खाते हैं। डॉ. अंबेडकर वैदिक धर्म को मानते नहीं थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन उनके समाजदर्शन में वही नैतिक मूल्यों और समानता की भावना दिखाई देती है जो स्वामी दयानन्द के विचारों में भी थी।

डॉ. अंबेडकर ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की सख्त आलोचना की। उनका कहना था कि समाज में भेदभाव केवल मानवीय कर्मों और रीतियों से पैदा हुआ, इसे कोई ईश्वर नहीं बनाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों के आडंबर और परंपराओं के कारण लोगों को दोषी ठहराना व्यर्थ है, असली सुधार समाज में अधिकार और समानता स्थापित करने से होगा।

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक दृष्टिकोण यह था कि मनुष्य मनुष्य के प्रति घृणा न करे, शोषण न करे, और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हों। वे मानते थे कि समाज को अपनी एकता बनाए रखने के लिए नैतिकता और न्याय को आधार बनाना चाहिए।

निष्कर्षतः, स्वामी दयानन्द और डॉ. अंबेडकर के विचार मानव कल्याण, सामाजिक समानता और न्याय पर केंद्रित हैं। उनके दर्शन में शिक्षा, अधिकार, कर्तव्य, राज्य और समाज निर्माण जैसे सभी पहलुओं में समानता की भावना दिखाई देती है। आज भी स्वामी दयानन्द का समाजदर्शन समाज सुधार और मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक और उपयोगी है।

❑❑❑